

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo_raigarh@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अधि./ 3656 /2022/रायगढ़, दिनांक :- 24/6/2022

प्रति,

अधीक्षण अभियंता,
अ.उ.दा. (नि एवं सं.) वृत्त,
छ.ग.रा.वि.पारे.कं.मर्या. बिलासपुर

विषय :- Diversion of forest land non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for CONSTRUCTION work of 132 KV DCDS line to provide supply form 132/33 KV SS Kondatarai to M/s. NTPC Ltd. area- 9.589 ha. regarding.

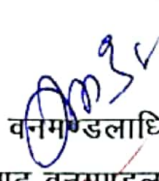
पंजीयन क्रमांक— FP/CG/TRANS/39462/2019

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क्रमांक/विद्युत/479-176/1328 रायपुर दिनांक 21.06.2022

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ.नं.-एफ.सी.-2/आई.आर.ओ.सी.एच.-07/2021/406 दिनांक 07.12.2021 द्वारा CONSTRUCTION work of 132 KV DCDS line to provide supply form 132/33 KV SS Kondatarai to M/s. NTPC Ltd हेतु प्रभावित कुल 9.589 हे. वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है। संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्नांकित राशि जमा करने हेतु लेख किया गया है:-

1. प्रथम चरण स्वीकृति के अधिरोपित शर्त क्रमांक II के पालन में आपके द्वारा पूर्व में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की वर्ष 2021-22 की दर राशि रु. 7,98,897.00 अनुसार राशि रु. 1,53,22,046.00 जमा किया गया था। वर्ष 2022-23 की नवीन निर्धारित दर राशि रु. 8,78,787.00 अनुसार राशि रु. 1,68,53,378.00 होता है अतः जमा योग्य अंतर की राशि रु. 15,31,332.00 (रुपये पन्द्रह लाख इक्तीस हजार तीन सौ बत्तीस मात्र) कैम्पा कॉर्पोरेशन बैंक में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा करावें।
2. प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक XX(d) के पालन में औषधी वृक्षारोपण हेतु चयनित रकबा 3.551 हे. लिए वर्ष 2021-22 की दर राशि रु. 7,98,897.00 अनुसार राशि रु. 28,36,683.00 जमा किया गया था। वर्ष 2022-23 की नवीन निर्धारित दर राशि रु. 8,78,787.00 अनुसार राशि रु. 31,20,573.00 होता है। अतः जमा योग्य अंतर की राशि रु. 2,83,890.00 (रुपये दो लाख तिरासी हजार आठ सौ नब्बे मात्र) कैम्पा कॉर्पोरेशन बैंक में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा करावें।
3. संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार शर्त क्रमांक-9 की पूर्ति हेतु ए.व्ही.फौना योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित राशि रु. 9,00,000.00 (रुपये नव लाख मात्र) कैम्पा कॉर्पोरेशन बैंक में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा करावें।

बिन्दु क्रमांक 1 से 3 में उल्लेखित समस्त राशि कैम्पा खाते में जमा करने के उपरांत रसीद की छायाप्रति के साथ वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रस्तुत करने का वचन पत्र अविलंब इस कार्यालय को प्रेषित करें।


वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./

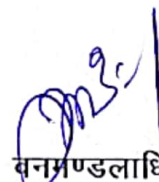
3657

2022/रायगढ़, दिनांक :- 24/6/2022

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छ.ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़